न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 7180 / 2002 / भरतपुर

जग्गो पुत्र बसन्ता जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पाई तह0कामां जिला भरतपुर

....अपीलांट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड कामां जिला भरतपुर
2. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग कामां
3. नन्नू
4. काडू
5. मौजखां
6. नब्बी
7. असरू

   पुत्रान दल्ला
8. सम्मन पुत्र नन्नू

   समस्त जाति मेव निवासी डूबोखर तह0 कामां जिला भरतपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थिति–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट
श्री वी.पी.सिंह, अभि0 रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2
रेस्पो0 सं0 3 लगा0 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांक 11–6–2018**

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर, केम्प डीग द्वारा अपील संख्या 64 / 2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2002 के

विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कामां के समक्ष राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि ग्राम डूबोखर में स्थित आराजी खसरा नंबर 77/1 वादी/अपीलांट की खातेदारी की जमीन है, जिसका पूर्व में कुल रकबा 16 एयर था, इसमें से 0.04 एयर जमीन सडक में चली जाने से मौके पर 12 एयर जमीन मौजूद है। प्रतिवादीगण, वादी/अपीलांट की काश्त की उक्त जमीन में से होकर सडक निकालने पर आमादा हैं। अतः उन्हें स्थायी व्यादेश से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब दावा पेश कर वाद पत्र के अभिवचनों से इन्कारी की थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30–4–2002 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे स्वयं को व्यथित महसूस करते हुए वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प डीग के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी तथा निर्णय दिनांक 25–10–2002 के द्वारा उक्त अपील भी खारिज कर दी गई। अतः अपीलांट ने मौजूदा द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि वादी ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में स्वयं का बयान बतौर पी.डब्ल्यू.1 लेखबद्ध करवाया था तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की थी, जिससे यह बखूबी साबित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण विधि विरूद्ध रूप से उसकी जमीन में से सडक निकालने पर आमादा हैं। फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय व विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का मनमाने तरीके से विवेचन करते हुए वादी का वाद व उसकी अपील खारिज कर दी थी। इसलिए प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी की खातेदारी की जमीन में उसे उपयोग व उपभोग में जबरन बाधा नहीं डालें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने उक्त तर्को का विरोध किया। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग की नहर मौके पर पहले से ही बनी हुई है। उसके सहारे नहर की पटरी भी आने जाने के लिए बनी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 केवल पटरी की मरम्मत करना चाहते हैं तथा मौके पर कोई रास्ता कायम करने पर आमादा नहीं हैं। माइनर की मरम्मत नहीं करने से उसमें जल प्रवाह हाने से पटरी के टूटने का अंदेशा रहता है, जिससे आम नागरिकों को हानि होगी। अतः विद्वान विचारण न्यायालय व विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का सही रूप से विवेचन करते हुए वादी का वाद एवं अपील खारिज की थी।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. यह द्वितीय अपील विद्वान विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय की Concurrent findings के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हालांकि तथ्यों के निष्कर्षो पर द्वितीय अपील में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है तथापि यदि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तात्विक साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया हो अथवा साक्ष्य को गलत समझ कर उसकी उपेक्षा की गई हो अथवा विधि के सिद्धान्तों का उपयोजन नहीं किया गया हो, तो द्वितीय अपील में भी हस्तक्षेप अनुज्ञेय माना गया है। अतः उभय पक्ष के तर्को पर मनन करने के उपरान्त इस अपील में विधि का यह सारवान प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने तात्विक साक्ष्य का गलत पठन किया तथा उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अनुचित हैं ?

8. दोनों पक्षों के अभिवचनों तथा उनकी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह एक स्वीकृत स्थिति है कि भूमि खसरा नंबर 77 अपीलांट/वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि का कुल रकबा 16 एयर था, जिसमें से 4 एयर भूमि रास्ता हेतु Acquire हो जाने से वादी/अपीलांट के पास 12 एयर भूमि काश्त हेतु रहती है। उभय पक्ष की ओर से यह भी स्वीकृत स्थिति है कि मौका पर बनी हुई नहर की पटरी की मरम्मत हेतु प्रतिवादीगण को वादी की जमीन की समय–समय पर आवश्यकता पडती रहती है, जिससे निश्चित रूप से वादी के उक्त जमीन के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न होती

है। इस प्रकार की प्रमाणित व स्वीकृत स्थिति अभिलेख पर उपलब्ध होने के बावजूद वादी का वाद व प्रथम अपील खारिज करके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनुचित निष्कर्ष निकाले हैं, जिससे वादी न्याय प्राप्त करने से वंचित हुआ है। अतः Substantial Question of law वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा उसकी ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

9. अतः वादी / अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है तथा उप जिला कलक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर कामां (भरतपुर) द्वारा वाद संख्या 195 / 99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2002 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प डीग द्वारा अपील संख्या 64 / 2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2002 को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी व्यादेश से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे ग्राम डूबोखर में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 77 रकबा 12 एयर में वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। यदि प्रतिवादीगण को माइनर रिपेयर हेतु उक्त जमीन के किसी हिस्से की आवश्यकता है तो वे विधि अनुसार उसे क्षति पूर्ति की राशि अदा कर पटरी की मरम्मत करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष